(8)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 INDIA भारत TEN RUPEES दस रुपये

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–अशोक नगर R3239-II

गोकम सिंह पुत्र भगवान सिंह लोधी, निवासी ग्राम घाट बमुरिया तहसील मुंगावली जिला–अशोक नगर (म.प्र.)

...... आवेदक

द्वारा आज दि. 22/9/12 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 4-10 P.M

विरूद्ध

1-- सोम सिंह पुत्र गोरेलाल लोधी, निवासी ग्राम घाट बमुरिया तहसील मुगावली जिला अशोक नगर (म.प्र.)

2-- मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–अशोक नगर

...... अनावेदकगण

<u>न्यायालय नायब तहसीलदार, परगना मुंगावली, जिला–अशोक नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अनावेदक क्रमांक–1 द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 163/1 रकवा 0.1... एवं 158/2 रकवा 0.108 हेक्टेयर का सीमांकन करवाये जाने हेतु न्यायालय नायब तहसीलदार परगना मुंगावली जिला–अशोक नगर के समक्ष प्रस्तुत किया जो नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 86/अ–12/11–12 पर पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही प्रारंभ की गई।

2– यहकि, उपरोक्त प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई भी अवसर नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया जबकि सहायक अधीक्षक भू–अभिलेख अशोक नगर द्वारा अपने प्रतिवेदन में आवेदक के नाम का उल्लेख किया है। इस प्रकार नायब तहसीलदार न्यायालय का आदेश आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.06.2012 से यह आदेश पारित किया गया कि अधीक्षक अशोक नगर की ओर से जो सीमांकन प्रतिवेदन मय रिपोर्ट, रसीद, पंचनामा, फील्डबुक सूचना पत्र सहित प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण हो

22/8/12

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :—निगरानी—3239—दो/2012 जिला—अशोकनगर

मोकम सिंह विरूद्ध सोमसिंह व म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषक हस्ताक्षर
03—06—2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार परगना मुंगावली, जिला—अशोकनगर के प्र.क्र. 86/अ—12/2011—12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30—06—2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, जिला—अशोकनगर को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23—07—2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। 3/6/19 (आर.के. जैन) सदस्य	